राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com , rj-slsa@nic.in website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक :–एफ–7(76)रालसा / संस्था–पी.एल.ए.गठन / 2025 / 79 दिनांक: 07/02/2025

कार्यालय आदेश

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22–बी के अधीन जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय, बालोतरा पर स्थापित स्थायी लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्त श्री कैलाश चंद मिश्रा (सेवानिवृत जिला न्यायाधीश) की 65 वर्ष की आयु दिनांक 09.02.2025 को पूर्ण हो रही है। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नवीन पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को स्थायी लोक अदालत, बालोतरा के अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त कार्य (As a Part time Chairperson) करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष का कार्य करने पर नियमानुसार मानदेय देय होगा।

श्री कैलाश चंद मिश्रा, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त पद का कार्यभार नियमानुसार जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को सौंपकर भारमुक्त होंवे एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को निर्देशित है कि अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, बालोतरा का पद कार्यभार ग्रहण करें।

इस कार्यालय के पत्रांक 4520–4554 दिनांक 10.05.2012 में वर्णित दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी लोक अदालत की बैठक सामान्यतः प्रतिमाह दो सुनिश्चित की जावें, किन्तु प्रकरणों की संख्या के आधार पर अधिकतम सप्ताह में एक बार स्थायी लोक अदालत की बैठक आयोजित की जा सकती है।

आज्ञा से,
sd/-
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर

क्रमांक :–एफ–7(76)रालसा / संस्था–पी.एल.ए.गठन / 2025 / 26771–790 दिनांक: 07/02/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, सदस्य सचिव, रालसा, जयपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा ।
7. अध्यक्ष / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा ।
8. अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, बालोतरा ।
9. सदस्य, स्थायी लोक अदालत, बालोतरा ।
10. निदेशक / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव–प्रथम / द्वितीय, रालसा, जयपुर।
11. संबंधित कोषाधिकारी, कोष कार्यालय।
12. नोडल ऑफिसर, विभागीय वेबसाईट, रालसा, जयपुर।
13. आदेश / संबंधित / रक्षित पत्रावली।

निदेशक 7-2-2025
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर

E:\Establishment Section\Permanent Lok Adalat\PLA Order.docx